प्रेस विज्ञप्ति
08.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने 7/8/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी, उसके अध्यक्ष शरद गुप्ता और अन्य सदस्यों तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय, हरिद्वार के अधिकारियों के विरुद्ध उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में छात्रवृत्ति राशि के गबन के आरोप में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। कथित तौर पर उक्त शैक्षणिक सोसाइटी रुड़की स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और रुड़की स्थित आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का संचालन करती है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पीएस, सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, रुड़की और आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की ने 2011-12 से 2016-2017 की अवधि के दौरान समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार के अधिकारियों की मिलीभगत से एससी/एसटी छात्रों के नामांकन में हेराफेरी करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति की बड़ी राशि प्राप्त की थी। जांच में आगे पता चला कि वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की ने लगभग 1 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि का गबन और लूट किया है और खुद को गलत लाभ पहुंचाकर सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया है।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी की लगभग 1 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

आगे की जाँच जारी है।